

छत्तीसगढ़ शासन

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक / एफ 7-12/2020/10-2

प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक १२/१२/२०२०

शासन के समस्त विभाग

अध्यक्ष राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर

समस्त विभागाध्यक्ष

समस्त संभागायुक्त

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षे.) / वन्यप्राणी / कार्य आयोजना

समस्त कलेक्टर

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

समस्त वनमंडलाधिकारी

छत्तीसगढ़।

विषय:-

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का नाम परिवर्तित कर “छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग” होने की सूचना बाबत्।

—00—

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 1-3/2020/एक (1), दिनांक 10.12.2020 के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का नाम परिवर्तित कर “छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग” प्रतिस्थापित किया गया है।

2/- अतः कृपया उक्तानुसार अधिसूचना दिनांक 10.12.2020 की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

*रामेश्वर  
29.12.2020  
(के.पी.राजपूत)*

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां क्रमांक / एफ 7-12/2020/10-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक / 12/2020  
प्रतिलिपि :-

1. मान. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
2. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, रायपुर,
3. विशेष सहायक, माननीय वनमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर,
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर,
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
6. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर,
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर,
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
9. समस्त निगम / मंडल / आयोग / प्राधिकरण, छत्तीसगढ़,
10. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,

11. संचालक, जनसंपर्क, संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर,
12. वन महानिदेशक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड, नई दिल्ली -110003।
13. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे.), भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राउंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटरियेट बिल्डिंग, व्ही.सी ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र) - 4400011।
14. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे.), भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
15. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर,
16. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर,
17. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर,
18. प्रबंधक संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़, वनधन भवन, सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर,
19. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर,
20. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, औषधीय पादप बोर्ड, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर
21. आदेश फोल्डर।

रेकॉर्ड  
अवर सचिव 29.12.2020  
छत्तीसगढ़ शासन,  
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

‘बिजेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001।’



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

[क्रमांक 626]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2020 — अग्रहायण 19, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 दिसम्बर 2020

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-3/2020/एक (1). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

### संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 2 के सरल क्रमांक पांच के कॉलम क्रमांक (3) की प्रविदि “दस” के तत्त्वानी कॉलम क्रमांक (4) में, शब्द “वन विभाग” के स्थान पर, शब्द “वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी.डी.सिंह, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 10 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 1-3/2020/एक (1). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-(3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-3/2020/एक (1), दिनांक 10-12-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी.डी.सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 10th December 2020

NOTIFICATION

No. F 1-3/2020/One(1). — In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Government Business (Allocation) Rules, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In column number (4) corresponding to entry "Ten" in column number (3) of serial number Five of rule 2, for the words "Forest Department" the words "Forest and Climate Change Department" Shall be Substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
D.D. SINGH, Secretary.